



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकारसे प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 693]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर, 26, 2014/पौष 5, 1936

No. 693]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 26, 2014/PAUSHA 5, 1936

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2014

**सा.नि.का. 917(अ).**—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विमानन टरबाइन ईंधन (विपणन का विनियमन) आदेश, 2001 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विमानन टरबाइन ईंधन (विपणन का विनियमन) संशोधन आदेश, 2014 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. विमानन टरबाइन ईंधन (विपणन का विनियमन) आदेश, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल आदेश कहा गया है) के खंड (2) के उपखंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(iii) "उपभोक्ता" से कोई व्यक्ति, **फर्म या कंपनी** अभिप्रेत है, जो किसी तेल कंपनी से सीधे विमानन टरबाइन ईंधन क्रय करती है या विमानन टरबाइन ईंधन का आयात करती है और उक्त विमानन टरबाइन ईंधन का भंडारण और उपयोग विमानन के संबंध में स्वयं के उपभोग के लिए करती है और इसके अंतर्गत उसके प्रतिनिधि, कर्मचारी या अभिकर्ता हैं।';

- मूल आदेश में खंड (3) में उपखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ख)(i) विमानन टरबाइन ईंधन का विक्रय करने के लिए प्राधिकृत तेल कंपनी सभी कानूनी या विनियामक प्राधिकारियों जैसे नागर विमानन महानिदेशक, सैनिक उड्डयन योग्यता और प्रमाणन केंद्र, महानिदेशक ऐयरोनोटिकल गुणवत्ता आश्वासन, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन तथा तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय की समवर्ती अधिकारिता में अधिकथित गुणवत्ता और अन्य मानकों का अनुपालन करेगी;

(ii) तेल कंपनी केंद्रीय सरकार को पश्चातवर्ती वर्ष के 15 अप्रैल या उससे पूर्व अनुसूची 3 में उपबंधित प्ररूप के अनुसार प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक आज्ञापक स्वयं अनुपालना घोषणा प्रस्तुत करेगी;"।

- मूल आदेश के खंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

'5. आरंभिक और पश्चातवर्ती प्राधिकरणों की अवधि और सहबद्ध फीस--

(1) आरंभिक प्राधिकरण दो वर्ष की अवधि के लिए होगा और उसमें निर्दिष्ट वर्ष किसी वर्ष 1 अप्रैल को आरंभ होने वाला और पश्चातवर्ती वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष होगा।

(2) प्राधिकरण का प्रत्येक नवीकरण एक समय में दस वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(3) विमानन टरबाइन ईंधन (विपणन का विनियमन) संशोधन आदेश, 2014 के प्रारंभ की तारीख से ही आरंभिक प्राधिकरण आवेदन के साथ 25 लाख रुपये की प्राधिकरण फीस (जिसे इसमें इसके पश्चात् आरंभिक प्राधिकरण मूल फीस कहा गया है) संदेय होगी और यह अप्रतिदेय होगी।

(4) उपखंड (3) में निर्दिष्ट आरंभिक प्राधिकरण मूल फीस प्रत्येक पश्चातवर्ती वर्ष के 1 अप्रैल को वार्षिक रूप से 12 प्रतिशत बढ़ जाएगी और ऐसी बढी हुई फीस वर्ष के लिए लागू आरंभिक प्राधिकरण मूल फीस होगी।

(5) प्राधिकरण का नवीकरण  $\Sigma B^n(1+r)^n$  के बराबर होगी, जहां n 0 से 9 के बीच हो सकता है और r 12 प्रतिशत के बराबर है और B वर्ष के लिए जब नवीकरण शोध्य है लागू आरंभिक प्राधिकरण मूल फीस है।

(6) आरंभिक या नवीकरण प्राधिकरण फीस आवेदन के साथ वेतन और लेखा अधिकारी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली में बैंकर चैक या मांगदेय पत्र के माध्यम से संदत्त की जाएगी।

(7) सरकार वर्ष में किसी समय आरंभिक मूल फीस में संशोधन कर सकेगी, फीस "B" और दर "r" पश्चातवर्ती वर्ष के 1 अप्रैल से लागू होंगी।।

5. मूल आदेश में खंड (6) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

**"6. विमानन टरबाइन ईंधन के विपणन के लिए प्राधिकरण-** केन्द्रीय सरकार का, आवेदन की संविधा करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि आवेदक परिवहन ईंधनों के विपणन के लिए सरकार द्वारा अधिकथित शर्तों को पूरा करता है तो अनुसूची II में विनिर्दिष्ट प्ररूप के अनुसार विमानन टरबाइन ईंधन के विपणन के लिए आरंभिक प्राधिकरण या प्राधिकरण का नवीकरण जारी किया जाएगा।"

6. मूल आदेश के खंड 7 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

**7. विमानन टरबाइन ईंधन के विपणन के प्राधिकरण की वैधता और शर्तों के अननुपालन के परिणाम -**

(1) केन्द्रीय सरकार, आवेदनों की संवीक्षा के पश्चात् दो वर्ष की अवधि के लिए विमानन टरबाइन ईंधन के विपणन के लिए आरंभिक प्राधिकरण जारी कर सकेगी और तत्पश्चात् दस वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक नवीकरण जारी करेगी।

(2) विमानन टरबाइन ईंधन का विक्रय करने के प्राधिकरण की अपेक्षा करने वाला कोई व्यक्ति, फर्म या कंपनी केन्द्रीय सरकार को अनुसूची I के अनुसार एक नया आवेदन पहले से ही जारी प्राधिकरण की वैधता के अवसान से कम से कम नब्बे दिन पूर्व करेगा।

(3) प्राधिकरण खंड 3 के उपबंधों के अनुपालन और 1997 और 2002 के यथा लागू प्रशासनिक मूल्य तंत्र (एपीएम) डिस्मेंटलिंग संकल्प या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विपणन प्राधिकरण पर अधिरोपित अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए वैध होगा।

(4) उपखंड (3) के किसी भी उपबंध का अननुपालन व्यतिक्रमी तेल कंपनी को प्राधिकरण के अस्थायी स्थगन का दायी बना देगा जिसकी संसूचना केन्द्रीय सरकार द्वारा लिखित में ऐसी व्यतिक्रमी तेल कंपनी को दी जाएगी।

(5) केन्द्रीय सरकार खंड (4) में निर्दिष्ट अननुपालना की जांच करने के पश्चात्, यथास्थिति प्राधिकरण की बहाली के लिए या प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निलंबित करने का या विपणन प्राधिकरण के प्रतिसंहरण के लिए समुचित आदेश पारित कर सकेगी।"

7. मूल आदेश के खंड 9 के उपखंड (ग) में "1 लीटर के 3 नमूने", अंक और शब्दों के स्थान पर "2 लीटर के 3 नमूने", अंक और शब्द रखे जाएंगे।

8. मूल आदेश की अनुसूची I के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

**"अनुसूची I**  
(खंड 4 और खंड 7 देखें)  
आवेदन प्ररूप

(विमानन टरबाईन ईंधन (एटीएफ) का विपणन का प्राधिकरण जारी करने के लिए

सेवा में

संयुक्त सचिव (एम),

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार,

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

1. आवेदक का नाम					
2. फर्म की किस्म: पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या भागीदारी फर्म या सांपत्तिक फर्म या कोई अन्य ( जो लागू न हो उसे काट दें)					
3. पता					
4. रजिस्ट्रीकृत पता					
5. एटीएफ भंडारण बिंदू					
6. निदेशकों या भागीदारों या प्रोपराइटरों का नाम, पता, टेलीफोन नं.					
क्रम सं.	नाम	कार्यालय	निवास		
		पता	टेलीफोन	पता	टेलीफोन
7. उद्योग रजिस्ट्रीकरण या अनुज्ञप्ति के ब्यौरे					
रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञप्ति संख्या	या	जारी करने की तारीख	...तक वैध	जारी करने वाला प्राधिकारी	
8. विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे					
क. राज्य विक्रय कर					
रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञप्ति संख्या	या	जारी करने की तारीख	...तक वैध	जारी करने वाला प्राधिकारी	

विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे					
ख. केन्द्रीय विक्रय कर					
रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञप्ति संख्या	या	जारी करने की तारीख	...तक वैध	जारी करने वाला प्राधिकारी	
9. विस्फोटक अनुज्ञप्ति के ब्यौरे					
रजिस्ट्रीकरण संख्या		जारी करने की तारीख	...तक वैध	अनुज्ञप्त एटीएफ भंडारण क्षमता (किलोलीटर में)	

10. एटीएफ भंडारण के ब्यौरे		
अवस्थिति	टैंक संख्या	क्षमता (किलोलीटर में)

11. श्रेणी:

परिष्करण या तेल खोज और उत्पादन कंपनी (जो लागू न हो उसे काट दें)

12. परिष्करणियों की दशा में:

क. विनिधान के ब्यौरे:

ख. साम्या धृति के ब्यौरे:

13. तेल खोज और उत्पादन कंपनियों की दशा में:

क. पिछले तीन वर्ष के दौरान कच्चे तेल के ब्यौरे:

(वार्षिक रिपोर्टों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जाएंगी)

वर्ष	अवस्थिति	उत्पादन (दस लाख टन में)

14. संपरीक्षित लेखाओं के ब्यौरे:

क. क्या लेखे संपरीक्षित हैं	हां	नहीं

ख. यदि हां तो नवीनतम किसी वर्ष के लिए ?

(लेखाओं का संपरीक्षित विवरण और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की नवीनतम रिपोर्ट संलग्न करें)

15. एटीएफ ब्रांड नाम और लोगो

(प्रमाणित लोगो संबद्ध करें)

16. संबद्ध आवेदन फीस\* के ब्यौरे

बैंकर चैक/मांग पत्र संख्या	तारीख
बैंक का नाम	शाखा
रकम	

\* ऊपर जमा की जा रही रकम के लिए पृथक् संगणना सीट संबद्ध करें ताकि उसे खंड 5 के अनुरूप दर्शाया जा सके।

17. जिसके लिए प्राधिकरण का आवेदन किया गया है: (जो लागू न हो उसे काट दें)

आरंभिक	नवीकरण
--------	--------

18. कानूनी या विनियामक निकायों से अनुमोदन :

(i)	महानिदेशक नागर विमानन (डीजीसीए)	अनुमोदन निर्देश	अनुमोदन की तारीख	...तक वैध	...द्वारा जारी
(ii)	सैनिक उड्डयन योग्यता और प्रमाणन केंद्र (सीईएमआईएलएसी)	अनुमोदन निर्देश	अनुमोदन की तारीख	...तक वैध	...द्वारा जारी
(iii)	महानिदेशक ऐयरोनोटिकल गुणवत्ता आश्वासन (डीजीएक्यूए)	अनुमोदन निर्देश	अनुमोदन की तारीख	...तक वैध	...द्वारा जारी

(iv)	पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ)	अनुमोदन निर्देश	अनुमोदन की तारीख	...तक वैध	...द्वारा जारी
(v)	तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी)	अनुमोदन निर्देश	अनुमोदन की तारीख	...तक वैध	...द्वारा जारी
(vi)	कोई अन्य कानूनी प्राधिकरण	अनुमोदन निर्देश	अनुमोदन की तारीख	...तक वैध	...द्वारा जारी

### घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वोक्त सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है तथा इस अनुमोदन के साथ संलग्न उपाबंधों और विवरणों में सूचना सही, पूर्ण और सत्य रूप से कथित है तथा यदि इसमें दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है तो मैं विधि के उपबंधों के अधीन कार्रवाई का दायी होऊंगा।

तारीख : .....

हस्ताक्षर : .....

नाम : .....

स्थान : .....

9. मूल आदेश में अनुसूची II के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

"अनुसूची II  
(खंड 6 देखिए)

**वह प्ररूप, जिसमें केंद्रीय सरकार द्वारा विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) का विपणन करने के लिए प्राधिकरण जारी किया जाएगा**

प्राधिकरण सं. ....

तारीख .....

विमानन टर्बाइन ईंधन (विपणन का विनियमन) आदेश, 2001 के निबंधनों में विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) के विपणन का प्राधिकरण करने के आवेदन की संवीक्षा के पश्चात् मैसर्स ..... जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ..... (पता) को इस प्राधिकरण के जारी करने की तारीख से नीचे दिए गए व्यौरों के अनुसार एटीएफ का विपणन करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है :

1. श्रेणी

परिष्करणी या तेल खोज और उत्पादन कंपनी (जो लागू न हो उसे काट दें)

2. एटीएफ भंडारण बिन्दू :

3. एटीएफ ब्रांड नाम और लोगो :

4. .... तक वैध।

[आरंभिक या प्राधिकरण के नवीकरण के लिए वैधता के अवसान से कम से कम 90 दिन पूर्व नए सिरे से आवेदन किया जाएगा (जो लागू न हो उसे काट दें)]

5. एटीएफ का विपणन करने के लिए प्राधिकरण विमानन टर्बाइन ईंधन (विपणन का विनियमन) संशोधन आदेश, 2014 के खंड 7 के उपखंड (ख) की अनुपालना की शर्त के अधीन जारी किया जाता है।

6. कोई अन्य शर्त :

तारीख : .....

हस्ताक्षर : .....

स्थान : .....

नाम : .....

पदनाम .....

मुहर .....

10. मूल आदेश में निम्नलिखित अनुसूची III अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"अनुसूची III

(खंड 3ख देखिए)

**01/04/वर्ष से 31/03/वर्ष की अवधि के लिए खंड 3ख के अनुसार वार्षिक विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) स्वयं अनुपालन घोषणा प्ररूप**

1.0	कंपनी का नाम :					
2.0	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से प्राधिकरण निर्देश तथा तारीख (यदि लागू हों) :					
3.0	फर्म की किस्म :	पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या भागीदारी फर्म या साम्पातिक फर्म या कोई अन्य संगठन (जो लागू न हो उसे काट दें)				
4.0	रजिस्ट्रीकृत कार्यालय :					
5.0	निदेशकों या भागीदारों या प्रोपराइटरों का नाम, पता, टेलीफोन नं. :	क्रम सं.	नाम	पता	टेलीफोन	
		1.				
		2.				
		3.				
6.0	कर रजिस्ट्रीकरण :					
(i)	राज्य विक्रय कर	क्रम सं.	रजिस्ट्रीकरण सं.	तारीख	... तक वैध	... द्वारा जारी
		1.				
		2.				
		3.				
(ii)	केंद्रीय विक्रय कर	रजिस्ट्रीकरण सं.	तारीख	... तक वैध	... द्वारा जारी	
7.0	एटीएफ विपणन स्कीम के ब्यौरे :					
(i)	विपणन किए जाने वाले एटीएफ की आपूर्ति का स्रोत :					
(ii)	एटीएफ ब्रांड नाम और लोगो :					
(iii)	एटीएफ भंडारण बिन्दू :	क्रम सं.	अवस्थिति	विमानपत्तन	पता	
(iv)	विस्फोटक अनुज्ञप्ति के ब्यौरे :	अवस्थिति	अनुज्ञप्ति सं.	जारी करने की तारीख	... तक वैध	अनुज्ञप्त एटीएफ भंडारण क्षमता

(v)	स्थापित या स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित टैंक और अन्य अवसंरचना ; (प्रत्येक अवस्थिति के लिए पृथक् ब्यौरे) :	अवस्थिति	टैंक सं.	क्षमता (किलो लीटर)	
		अन्य अवसंरचना के ब्यौरे (विसर्जन क्षमता सहित)			
(vi)	टर्मिनलों या डिपो और विमानन ईंधन स्टेशनों (एएफएस) को उत्पादों के परिवहन के साधन :	अवस्थितिवार ब्यौरे प्रदान किए जाने हैं।			
8.0	कानूनी या विनियामक निकायों से अनुमोदन :				
(i)	महानिदेशक नागर विमानन (डीजीसीए)	अनुमोदन निर्देश	अनुमोदन की तारीख	...तक वैध	...द्वारा जारी
(ii)	सैनिक उड्डयन योग्यता और प्रमाणन केंद्र (सीईएमआईएलएसी)	अनुमोदन निर्देश	अनुमोदन की तारीख	...तक वैध	...द्वारा जारी
(iii)	महानिदेशक ऐयरोनोटिकल गुणवत्ता आश्वासन (डीजीएक्यूए)	अनुमोदन निर्देश	अनुमोदन की तारीख	...तक वैध	...द्वारा जारी
(iv)	पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ)	अनुमोदन निर्देश	अनुमोदन की तारीख	...तक वैध	...द्वारा जारी
(v)	तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी)	अनुमोदन निर्देश	अनुमोदन की तारीख	...तक वैध	...द्वारा जारी
(vi)	कोई अन्य कानूनी प्राधिकरण	अनुमोदन निर्देश	अनुमोदन की तारीख	...तक वैध	...द्वारा जारी
9.0	संलग्नक (उन्हें सूचीबद्ध और संख्यांकित करें) :				
(i)	लेखाओं का अद्यतन लेखा परीक्षा विवरण				

(ii)	कानूनी निकायों से अद्यतन अनुमोदनों या नवीकरणों की प्रतियां (डीजीसीए या सीईएमआईएलएसी या डीजीएक्यूए या पीईएसओ या ओआईएसडी या कोई अन्य) :			
10.0	एटीएफ उपापन	वर्ष	से उपाप्त	मात्रा (किलो लीटर)
11.0	एटीएफ बिक्री	वर्ष	को विक्रीत	मात्रा (किलो लीटर)
			घरेलू एयरलाइन	अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन

### घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वोक्त सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है तथा इस अनुमोदन के साथ संलग्न उपाबंधों और विवरणों में सूचना सही, पूर्ण और सत्य रूप से कथित है तथा यदि इसमें दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है तो मैं विधि के उपबंधों के अधीन कार्रवाई का दायी होऊंगा।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सभी सुसंगत कानूनी या विनियामक प्राधिकरणों सिविल और सैनिक दोनों जैसे डीजीसीए, सीईएमआईएलएसी, डीजीएक्यूए, पीईएसओ, ओआईएसडी, आदि की समवर्ती अधिकारिता के अधीन यथा अधिकथित सभी गुणवता और सुरक्षा मानकों का अनुसरण किया जा रहा है।

तारीख : ..... प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर : .....  
स्थान : ..... नाम : .....

(प्राधिकरण पत्र की प्रति, यदि लागू हों तो संलग्न की जाएगी)।"

[सं पी-21027/11/2001-वितरण]

डा. नीरज मित्तल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 241(अ) तारीख 31 मार्च, 2001 द्वारा प्रकाशित किया गया था।



**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th December, 2014

**G.S.R. 917(E).**— In exercise of the powers conferred under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Aviation Turbine Fuel (Regulation of Marketing) Order, 2001, namely:-

1. (1) This Order may be called the Aviation Turbine Fuel (Regulation of Marketing) Amendment Order, 2014.  
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Aviation Turbine Fuel (Regulation of Marketing) Order, 2001 (hereinafter referred to as the principal order), in clause 2, for sub-clause (iii), the following sub-clause shall be substituted, namely :-  
‘(iii) “consumer” means a person, **firm or company** who purchases aviation turbine fuel directly from an oil company or imports aviation turbine fuel and stores and utilises the said aviation turbine fuel for its own consumption in respect of aviation and shall include their representatives, employees or agents.’;
3. In the principal order, in clause 3, for sub-clause (b), the following sub-clause shall be substituted, namely :-  
“(b)(i) oil company, authorised to sell aviation turbine fuel, shall comply with all the quality and other standards laid down in the concurrent jurisdiction of all the applicable statutory or regulatory authorities, such as the Director General of Civil Aviation, the Centre of Military Airworthiness and Certification, the Director General of Aeronautical Quality Assurance, the Petroleum and Explosive Safety Organisation and the Oil Industry Safety Directorate;  
(ii) the oil company shall furnish an annual mandatory self-compliance declaration for every year as per the format provided in Schedule-III to the Central Government on or before the 15th April of the following year;”.
4. In the principal order, for clause 5, the following clause shall be substituted, namely:-  
‘5. Period of initial and subsequent authorisations and associated fee. –  
(1) The initial authorisation shall be for a period of two years and the year referred to therein, shall be the financial year commencing on the 1st April in a year and ending on the 31st March of the following year.  
(2) Each renewal of authorisation shall be for a period of ten years at a time.  
(3) On and from the date of commencement of the Aviation Turbine Fuel (Regulation of Marketing) Amendment Order, 2014, an authorisation fee (hereafter referred to as the Initial Authorisation Base Fee) of twenty-five lakh rupees shall be payable along with submission of initial authorisation application and the said fee shall be non-refundable.  
(4) The Initial Authorisation Base Fee referred to in sub-clause (3) shall stand enhanced by twelve per cent annually on the 1st day of April of every subsequent year and such enhanced fee shall be the Initial Authorisation Base Fee applicable for that year.  
(5) The renewal of authorisation shall be on payment of a renewal fee equal to  $\sum B*(1+r)^n$  where n varies from 0 to 9 and r is equal to 12 per cent and B is the applicable Initial Authorisation Base Fee for the year when renewal is due.  
(6) The initial or renewal authorisation fee shall be paid along with the application by way of banker’s cheque or demand draft in favour of Pay and Accounts Officer, the Ministry of Petroleum and Natural Gas payable at New Delhi.

(7) The Government may at any time during a year revise the Initial Authorisation Base Fee “B” and rate “r” shall be applicable from the 1st of April of the following year.’.

5. In the principal order, for clause 6, the following clause shall be substituted, namely :-

“6. **Authorisation to market aviation turbine fuel.**- If Central Government, after scrutiny of the application is satisfied that the applicant fulfils the conditions laid down by the Government for marketing of transportation fuels, the initial authorisation or renewal of authorisation to market aviation turbine fuel shall be issued as per the format specified in Schedule-II.”.

6. In the principal order, for clause 7, the following clause shall be substituted, namely:-

“7. **Validity of authorisation to market aviation turbine fuel and consequences for non-compliance of conditions. -**

(1) The Central Government may, after scrutiny of applications, issue initial authorisation to market aviation turbine fuel for a period of two years and thereafter, issue every renewal for a period of ten years.

(2) Any person, firm or company requiring renewal of authorisation to sell aviation turbine fuel shall submit fresh application to the Central Government as per Schedule-I at least ninety days before the expiry of validity of the authorisation already issued.

(3) This authorisation shall be valid subject to compliance of provisions of clause 3 and the conditions contained in authorisation of marketing of transportation fuels issued under Administrative Price Mechanism (APM) Dismantling Resolutions of 1997 and 2002, as applicable or any other conditions imposed on marketing authorisation from time to time by the Central Government.

(4) Non-compliance of any of the provisions of sub-clause (3) shall make the defaulting oil company liable for temporary suspension of the authorisation which shall be communicated by the Central Government in writing to such defaulting oil company.

(5) The Central Government after conducting an inquiry into the non-compliance referred to in clause (4), may pass appropriate orders for either restoration of authorisation, suspension of authorisation for a specific period or revocation of the marketing authorisation, as the case may be.”.

7. In the principal order, in clause 9, in sub-clause (c), for the figures and words “3 samples of 1 litre”, the figures and words “3 samples of 2 litre” shall be substituted.

8. In the principal order, for Schedule I, the following Schedule shall be substituted, namely :-

**“SCHEDULE I**

(See clause 4 and 7)

**APPLICATION FORM**

[For issue of Authorisation to market aviation turbine fuel (ATF)]

To

The Joint Secretary (M), Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, ShastriBhawan New Delhi -110 001

1. Name of the applicant :

2. Type of firm :

Public Limited Company or Private Limited Company or Partnership firm or Proprietorship firm or Any Other (strike out whichever is not applicable)

3. Address :

4. Registered Office :

5. ATF storage point (s) :


6. Names, addresses, telephone numbers of Directors or Partners or Proprietors :

Sr. No.	Name	Office		Residence	
		Address	Telephone	Address	Telephone

7. Industry Registration or License Details :

Registration or License Number	Date of Issue	Valid up to	Issuing Authority

8. Sales Tax Registration Details :

A. State Sales Tax :

Registration or License Number	Date of Issue	Valid up to	Issuing Authority

B. Central Sales Tax :

Registration or License Number	Date of Issue	Valid up to	Issuing Authority

9. Explosives License Details :

License Number	Date of Issue	Valid up to	ATF storage capacity Licensed (in Kilolitres)

10. ATF storage details:

Location	Tank Number	Capacity (in Kilolitres)

11. Category :

Refinery or Oil Exploration and Production Company (Strike out whichever is not applicable)

12. In case Refineries :

A. Details of investment :

B. Details of equity holding :

13. In case of Oil Exploration and Production companies :

A. Details of crude oil production during the last three years :

(Certified copies of annual reports shall be enclosed)

Year	Location	Production ( in million tonnes)

## 14. Detail of audited Statement of Accounts :

A. Whether the Accounts are audited ?

Yes	No

B. If yes, latest for which year?

(Enclose latest Audited Statement of Accounts and Audit Report)

## 15. ATF brand name and logo :

(Attach certified logo)

## 16. Detail of application fee\* attached :

Banker's cheque/demand draft No.	Date
Name of the Bank	Branch
Amount	

\*Attach a separate calculation sheet for the amount being deposited above to show it is as per clause 5.

## 17. Authorisation applied for :

(Strike out whichever is not applicable)

Initial	Renewal
---------	---------

## 18. Approval from statutory or regulatory bodies :

(i)	Director General Civil Aviation (DGCA)	Approval Reference	Date of Approval	Valid up to	Issued by
(ii)	Centre of Military Airworthiness and Certification (CEMILAC)	Approval Reference	Date of Approval	Valid up to	Issued by
(iii)	Director General of Aeronautical Quality Assurance (DGAQA)	Approval Reference	Date of Approval	Valid up to	Issued by
(iv)	Petroleum and Explosive Safety Organisation (PESO)	Approval Reference	Date of Approval	Valid up to	Issued by
(v)	Oil Industry Safety Directorate (OISD)	Approval Reference	Date of Approval	Valid up to	Issued by
(vi)	Any other Statutory Authority (ies)	Approval Reference	Date of Approval	Valid up to	Issued by

**DECLARATION**

Certified that the above information is true to the best of my knowledge and belief and the information as annexures and statements accompanying this application are correct, complete and truly stated and if any statement made herein is found to be incorrect, I shall be liable for action under the provisions of law.

Signature : \_\_\_\_\_

Name : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Place : \_\_\_\_\_.”

9. In the principal order, for Schedule II, the following Schedule shall be substituted, namely :-

**“SCHEDULE II**

(see clause 6)

**FORMAT IN WHICH AUTHORISATION TO MARKET AVIATION TURBINE FUEL (ATF) SHALL BE ISSUED BY THE CENTRAL GOVERNMENT**

Authorisation No. \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

After scrutiny of the Application for Authorisation to market aviation turbine fuel (ATF) in terms of the provisions of the Aviation Turbine Fuel (Regulation of Marketing) Order, 2001, M/s \_\_\_\_\_ whose registered office is at \_\_\_\_\_ (address) are hereby authorised to market ATF, from the date of issue of this authorisation, as per the following details :

1. Category:

Refinery or Oil Exploration and Production Company (Strike out whichever is not applicable)

2. ATF storage point (s) :


3. ATF brand name and logo :

4. Valid upto :

[Fresh application to be made for initial or renewal of authorisation (strike out whichever is applicable) at least 90 days before the expiry of validity]

5. The authorisation to market ATF is issued subject to compliance of sub-clause (b) of clause 7 of the Aviation Turbine Fuel (Regulation of Marketing) Amendment Order, 2014.

6. Any other condition :

Date : \_\_\_\_\_

Place : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

Name : \_\_\_\_\_

Designation : \_\_\_\_\_

Seal : \_\_\_\_\_.”

10. In the principal order, the following Schedule III shall be inserted, namely :-

**“SCHEDULE-III**

**[See clause 3(b)]**

Annual Aviation Turbine Fuel (ATF) Self Compliance Declaration Form as per clause 3(b)

**For the period 01/04/YY to 31/03/YY**

**(To be submitted by 15/04/YY+1)**

1.0	Name of Company :	
2.0	Authorisation Reference from Ministry of Petroleum and Natural Gas and Date (if applicable) :	
3.0	Type of Firm :	Public Limited Company or Private Limited Company or Partnership Firm or Proprietorship Firm or any other organisation (strike out whichever is not applicable)
4.0	Registered Office :	

5.0	Names, addresses, telephone numbers of Directors or Partners or Proprietor :	S. No.	Name	Address	Telephone	
		1.				
		2.				
		3.				
6.0	Tax Registration:					
(i)	State Sales Tax :	S. No.	Registration Number	Date	Valid up to	Issued by
		1.				
		2.				
		3.				
(ii)	Central Sales Tax :	Registration Number	Date	Valid up to	Issued by	
7.0	Details of scheme of ATF marketing :					
(i)	Source of supply of ATF to be marketed :					
(ii)	ATF Brand Name and Logo :					
(iii)	ATF Storage Points :	S. No.	Location	Airport	Address	
(iv)	Explosive License Details :	Location	License Number	Date of Issue	Valid up to	Licensed ATF storage capacity
(v)	Tankage and other infrastructure established or proposed to be established along with their capacity; (Separate details for each location) :	Location	Tank Number	Capacity (KL)		
[Details of Other Infrastructure (including dispensing capacity)]						

(vi)	Means of transportation of products to terminals or depots and to Aviation Fuel Stations (AFS) :	[Details to be provided location-wise]			
8.0	Approval from Statutory or Regulatory Bodies:				
(i)	Director General Civil Aviation (DGCA)	Approval Reference	Date of Approval	Valid up to	Issued by
(ii)	Centre of Military Airworthiness and Certification (CEMILAC)	Approval Reference	Date of Approval	Valid up to	Issued by
(iii)	Director General of Aeronautical Quality Assurance (DGAQA)	Approval Reference	Date of Approval	Valid up to	Issued by
(iv)	Petroleum and Explosive Safety Organization (PESO)	Approval Reference	Date of Approval	Valid up to	Issued by
(v)	Oil Industry Safety Directorate (OISD)	Approval Reference	Date of Approval	Valid up to	Issued by
(vi)	Any Other Statutory Authorities (ies)	Approval Reference	Date of Approval	Valid up to	Issued by
9.0	Enclosures (List and number them):				
(i)	Latest Audited Statement of Accounts :				
(ii)	Copies of latest approvals or renewals from Statutory Bodies (DGCA or CEMILAC or DGAQA or PESO or OISD or Any other)				
10.0	ATF Procurement :	Year	Procured From	Quantity (KL)	
11.0	ATF Sales :	Year	Sold to		Quantity (KL)
			Domestic Airlines	International Airlines	

**DECLARATION**

Certified that the above information is true to the best of my knowledge and belief and the information as annexure and statements accompanying this application are correct, complete and truly stated and if any statement made herein is found to be incorrect, I shall be liable for action under the provision of law.

It is also certified that all the quality and safety standards are being followed as laid down under the concurrent jurisdiction of all the relevant Statutory or Regulatory Authorities, both Civilian and Military, such as DGCA, CEMILAC, DGAQA, PESO, OISD, etc.

Date:

Signature of authorized person :

Place:

Name:

(Copy of the authorisation letter, if applicable, is to be attached).”

[ No.P-21027/11/2001-Dist.]

Dr. NEERAJ MITTAL, Jt. Secy.

**Note:** The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 241(E), dated the 31st March, 2001.